भारत और इसकी आबादी

प्रलिमि्स के लयि:

भारत का जनसांख्यकीय लाभांश, TFR, पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर अनुपात।

मेन्स के लयि:

भारत का जनसांख्यकीय परविर्तन, जनसंख्या वृद्धि का महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

अप्रैल 2023 में 1.43 अरब के साथ भारत की आबादी **चीन की आबादी से अधकि होने की संभावना है**।

- वर्ष 2022 में ऐसा पहली बार है जब **चीन अपनी जनसंख्या में पूर्ण गरिावट दर्ज करेगा।**

इन बदलावों के कारक:

- **मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता:**
  - **अशोधति मृत्यु दर (CDR):** CDR प्रतविर्ष प्रति 1,000 आबादी पर मरने वाले व्यक्तयिों की संख्या है, यह वर्ष 1950 में चीन के लयि 23.2 और भारत के लयि 22.2 था।
    - चीन का **अशोधति मृत्यु दर** (CDR) पहली बार वर्ष 1974 में 9.5 तक के इकाई अंक में पहुँची, जबकि भारत के लयि यह वर्ष 1994 में 9.8 थी, इसके बाद वर्ष 2020 में दोनों देशों के लयि यह दर घटकर क्रमशः 7.3 और 7.4 तक पहुँच गई।
  - **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा:** एक अन्य मृत्यु दर संकेतक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। वर्ष 1950 और 2020 के बीच चीन की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 43.7 से बढ़कर 78.1 वर्ष और भारत की 41.7 से बढ़कर 70.1 वर्ष हो गई।
  - **कुल प्रजनन दर:** कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate-TFR) वर्ष 1950 में चीन के लयि प्रति महिला पर कुल बच्चों की औसत संख्या 5.8 और भारत हेतु 5.7 थी।
    - भारत का TFR वर्ष 1992-93 के 3.4 से गरिकर वर्ष 2019-2021 में 2 हो गया।
- **TFR में नरिंतर गरिावट:**
  - TFR में गरिावट के बावजूद आबादी में वृद्धि हो सकती है। **डी-ग्रोथ के लयि वसि्तारति अवधि हेतु TFR को प्रतसि्थापन स्तर से नीचे रहने की आवश्यकता** होती है।
  - इसके प्रभावस्वरूप वर्तमान बच्चों में से कुछ ही भवषि्य में माता-पिता बन सकेंगे और इसका प्रभाव कुछ पीढ़ियों बाद दखिाई देगा।
  - चीन का **TFR पहली बार वर्ष 1991 में प्रतसि्थापन स्तर** से नीचे देखा गया था जो भारत में लगभग 30 वर्ष पहले था।

चुनौतयिाँ और अवसर:

- **चुनौतयिाँ:**
  - ग्रह पर सर्वाधकि लोगों का होना **भारत के लयि तब तक अत्यधकि नकारात्मक साबति हो सकता है जब तक कि यह अपनी आबादी को भोजन, शक्षिा, आवास, स्वास्थ्य सेवाएँ और रोज़गार** प्रदान नहीं करता है।
  - इस चुनौती का स्तर अत्यधकि व्यापक है।
  - भारत में जल की कमी एक पुरानी समस्या है। साथ ही ये सभी **ज़रूरतें महत्त्वपूर्ण हैं लेकनि भारत के समक्ष अब तक सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य रोज़गार सृजन करना है**। इस वशिेष चुनौती का स्तर वास्तव में चुनौतीपूर्ण है।
    - वर्ष 2020 में भारत में 15-64 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग में 900 मलियिन लोग (कुल जनसंख्या का 67%) शामलि थे।
    - वर्ष 2030 तक इसमें और 100 मलियिन तक बढ़ने की उम्मीद है।
- **अवसर:**
  - **UNSC में स्थायी सदस्यता के लयि दावा:** यदि भारत सबसे अधकि जनसंख्या वाला देश बन जाता है तो यह भारत को सुरक्षा परषिद का स्थायी सदस्य बनने हेतु दावा करने का अवसर प्रदान करेगा।
    - नई आबादी के परणिामस्वरूप भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परषिद में स्थायी सीट की अपनी मौजूदा मांग को आगे बढ़ाने में सक्षम

होगा।
    - भू-राजनीतिक वास्तविकता बदल गई है और नई शक्तियाँ उभर रही हैं, जो पुरानी शक्तियों जैसे रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्राँस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ स्थान प्राप्ति के लायक हैं।
  - **राजकोषीय दायित्व में वृद्धि:** वित्तीय संसाधनों को बच्चों पर खर्च करने के बजाय आधुनिक भौतिक और मानव बुनियादी ढाँचे में निवेश किया सकता है जो भारत की आर्थिक स्थिरता को बढ़ाएगा।
  - **कार्यबल में वृद्धि: 65% से अधिक कामकाज़ी उम्र की आबादी के साथ भारत** एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है, जो आने वाले दशकों में एशिया के आधे से अधिक संभावित कार्यबल की आपूर्ति करेगा।
    - श्रम बल में वृद्धि, जो अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को बढ़ाती है।
    - महिला कार्यबल में वृद्धि जो स्वाभाविक रूप से प्रजनन क्षमता में गिरावट के साथ देखी जाती है और विकास का एक नया स्रोत बन सकती है।

भारत की रणनीति:

- **सामूहिक समृद्धि रणनीति:**
  - विदेशों में कार्यरत एक छोटी आबादी से भारत को प्राप्त होने वाला बड़ा प्रेषण इस बात की पुष्टि करता है **कि हमारी व्यापक समृद्धि रणनीति मानव पूंजी और औपचारिक नौकरियाँ होनी चाहिये।**
  - 0.8% सॉफ्टवेयर रोज़गार कार्यकर्त्ता सकल घरेलू उत्पाद का 8% उत्पन्न करते हैं।
  - हमारी निवासी आबादी के 2% से कम की विदेशी आबादी ने प्रेषण संबंधी आँकड़ों को पिछले वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से पार ले जाने की उम्मीद को बल प्रदान किया है।
- **रोज़गार में गुणात्मक स्थानांतरण:**
  - पिछले पाँच वर्षों के दौरान खाड़ी देशों में कम-कुशल, अनौपचारिक रोज़गार से उच्च-आय वाले देशों में उच्च-कुशल औपचारिक नौकरियों में गुणात्मक स्थानांतरण महत्त्वपूर्ण है।
    - वर्ष 2021 में अमेरिका ने 23% प्रेषण के साथ संयुक्त अरब अमीरात को सबसे बड़े स्रोत देश के रूप में प्रतिस्थापित किया। एफडीआई से लगभग 25% अधिक और सॉफ्टवेयर निर्यात से 25% कम की हमारी समृद्ध विदेशी मुद्रा प्रेषण प्राप्ति मानव पूंजी एवं औपचारिक नौकरियों से प्राप्त अच्छे परिणाम को दर्शाती हैं।
- **अतिरिक्त नौकरियाँ:**
  - कार्यस्थल पर बड़ी संख्या में युवा लोगों की क्षमता का उपयोग करने के लिये **भारत को वर्ष 2023 से हर वर्ष करीब 12 मिलियन अतिरिक्त गैर-कृषि नौकरियों का सृजन करने की आवश्यकता होगी।**
  - **यह वर्ष 2012 व 2018** के बीच वार्षिक रूप से सृजित चार मिलियन गैर-कृषि नौकरियों का तिगुना था।
  - भारत को उद्योगों में निवेश करने हेतु सक्षम होने के लिये प्रतिवर्ष 10% की विकास दर की आवश्यकता होगी ताकि युवाओं के कौशल का उपयोग किया जा सके।
- **शिक्षा में निवेश:**
  - भारत को इस बड़े कार्यबल से जनसांख्यिकीय लाभांश मिलने की उम्मीद है और साथ ही इससे प्राप्त होने संभावित लाभों के लिये शिक्षा में निवेश की आवश्यकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिये भारत को क्या करना चाहिये? (2013)

(a) कौशल विकास को बढ़ावा देना
(b) अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बढ़ावा
(c) शिशु मृत्यु दर को कम करना
(d) उच्च शिक्षा का निजीकरण

उत्तर: (a)

प्रश्न. समालोचनात्मक परीक्षण करें कि क्या बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है या गरीबी भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। (मुख्य परीक्षा, 2015)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अंबेडकर का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण

प्रलिमि्स के लयि:

अंबेडकर, बुद्ध, कबीर और महात्मा ज्योतबिा फुले

मेन्स के लयि:

अंबेडकर की लोकतांत्रकि दृष्टि/दृष्टकिोण

चर्चा में क्यों?

कई अध्ययनों में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की लोकतंत्र की अवधारणा का मुख्य रूप से सामाजकि, राजनीतकि और आर्थकि दर्शन की दृष्टि के माध्यम से परीक्षण कयिा गया है।

अंबेडकर की राय में लोकतंत्र नरि्माण के कारक:

- **नैतकिता:**
  - बुद्ध और उनके धम्म पर एक दृष्टि इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे**अंबेडकर लोकतंत्र को एक ऐसे दृष्टकिोण के रूप में देखते हैं जो मानव अस्तत्वि के प्रत्येक पहलू को प्रभावति करता है।**
    - बुद्ध, कबीर और महात्मा ज्योतबिा फुले के दर्शनों ने लोकतंत्र के साथ अंबेडकर की अपनी भागीदारी में महत्त्वपूर्ण भूमकिा नभिाई।
  - उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के स्तंभों के बावजूद **लोकतंत्र को नैतकि रूप** से भी देखा जाना चाहयि।
  - **जाति व्यवस्था में नैतकिता का उपयोग:**
    - अंबेडकर ने **जाति व्यवस्था,** हिंदू सामाजकि व्यवस्था, धर्म की प्रकृति और भारतीय इतहिास की जाँच में**नैतकिता के नज़रयि का उपयोग कयिा।**
    - चूँकि अंबेडकर ने लोकतंत्र में हाशयि पर पहुँच चुके समुदायों को अपने वचिार के केंद्र में रखा, इसलयि उनके लोकतंत्र के ढाँचे को इन कठोर धार्मकि संरचनाओं और सामाजकि-राजनीतकि व्यवस्थाओं के भीतर रखना मुश्कलि था।
    - इस प्रकार अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के सद्धिांतों के आधार पर एक नई संरचना का नरि्माण करने का प्रयास कयिा।
- **व्यक्तवािद और बंधुत्व की भावना को संतुलति करना:**
  - वह **अत्यधकि व्यक्तवािद के आलोचक थे जो** बौद्ध धर्म **का एक संभावति परणिाम था,** क्योंकि ऐसी वशिषताएँ सामाजकि व्यवस्था को चुनौती देने में सक्रयि रूप से संलग्न होने में वफिल रही हैं।
    - इस प्रकार उनका मानना था कि**एक सामंजस्यपूर्ण समाज के लयि व्यक्तवािद और बंधुत्व के मध्य संतुलन होना आवश्यक है।**
- **व्यावहारकिता का महत्त्व:**
  - अंबेडकर **व्यावहारकिता को अत्यधकि महत्त्व देते थे।**
  - उनके अनुसार, **अवधारणाओं और सद्धिांतों का परीक्षण करने की आवश्यकता के साथ ही** उन्हें समाज में व्यवहार में लाना जाना आवश्यक था।
  - उन्होंने **कसिी भी वषिय-वस्तु का वश्लिेषण करने के लयि तर्कसंगतता और आलोचनात्मक तर्क का उपयोग कयिा** , क्योंकि उनका मानना था कि कसिी वषिय की पहले तर्कसंगतता की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहयि, जसिमें वफिल होने पर इसे अस्वीकार, परविर्तति या संशोधति कयिा जाना चाहयि।

नैतकिता के प्रकार?

- **सामाजकि नैतकिता:**
  - अंबेडकर के अनुसार, **सामाजकि नैतकिता का नरि्माण अंतःक्रयिा के माध्यम से कयिा गया था और इस तरह की अंतःक्रयिा मनुष्य की पारस्परकि मान्यता पर आधारति थी।**
  - फरि भी जाति और धर्म की कठोर व्यवस्था के तहत इस तरह की बातचीत संभव नहीं थी क्योंकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके धर्म या जाति की पृष्ठभूमि के कारण एक सम्मानति इंसान के रूप में स्वीकार नहीं करता था।
  - सामाजकि नैतकिता **मनुष्यों के बीच समानता और सम्मान की मान्यता पर आधारति थी।**
- **संवैधानकि नैतकिता:**
  - अंबेडकर के लयि संवैधानकि नैतकिता **कसिी देश में लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखने के लयि एक शर्त थी।**
    - संवैधानकि नैतकिता का अर्थ है संवैधानकि लोकतंत्र के मूल सद्धिांतों का पालन करना।
  - उनका मानना था कि केवल वंशानुगत शासन की उपेक्षा के माध्यम से कानून जो सभी लोगों का प्रतनिधित्वि करते हैं और जनप्रतनिधियिों के साथ-साथ एक राज्य जसिमें लोगों का वश्विास है, के माध्यम से लोकतंत्र को बनाए रखा जा सकता है।
  - एक अकेला व्यक्ति या राजनीतकि दल सभी लोगों की ज़रूरतों या इच्छा का प्रतनिधित्वि नहीं कर सकता।
  - अंबेडकर ने महसूस कयिा कि **नैतकि लोकतंत्र की ऐसी समझ जाति व्यवस्था के साथ-साथ नहीं चल सकती।**
    - ऐसा इसलयि था क्योंकि **पारंपरकि जाति संरचना एक पदानुक्रमति नयिमों पर आधारति थी** , जसिमें व्यक्तयिों के बीच कोई पारस्परकि सम्मान नहीं था, इसके अतरिक्ति एक समूह का दूसरे समूह पर पूर्ण आधपित्य था।

अंबेडकर का भारतीय समाज के प्रति दृष्टिकोण:

- **वर्ण व्यवस्था:**
  - भारतीय समाज के बारे में उनके विश्लेषण के अनुसार, हिंदू धर्म में **वर्ण व्यवस्था एक विशिष्ट प्रथा है।**
    - विशिष्टता एक **राजनीतिक सिद्धांत है जहाँ एक समूह बड़े समूहों के हितों की परवाह किये बिना अपने हितों को बढ़ावा देता है।**
  - अंबेडकर के अनुसार, उच्च जातियाँ, **नकारात्मक विशिष्टता (अन्य समूहों पर उनका प्रभुत्व) को सार्वभौमिक तौर पर अपनाती हैं** और नकारात्मक सार्वभौमिकता नैतिकता को विशिष्ट बनाती है (जिसमें जाति व्यवस्था एवं कुछ समूहों के अलगाव को उचित ठहराया जाता है)।
  - यह नकारात्मक सामाजिक संबंध मुख्यतः 'अलोकतांत्रिक' है।
  - इस तरह के अलगाव से लड़ने के लिये ही अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के लोकतांत्रिक आदर्शों को आधुनिक लोकतंत्र के विचार-विमर्श में लाने का प्रयास किया।
- **लोकतंत्र में धर्म की भूमिका:**
  - अंबेडकर के अनुसार, **लोकतंत्र का जन्म धर्म से हुआ है** तथा इसके बिना जीवन असंभव है।
  - इस प्रकार **धर्म के पहलुओं को पूरी तरह से हटा नहीं सकते** क्योंकि यह लोकतंत्र के नए संस्करण का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करता है जो बौद्ध धर्म जैसे धर्मों के लोकतांत्रिक पहलुओं को अपनाता है।
  - अंत में **अंबेडकर महसूस करते हैं कि लोकतांत्रिक जीवन को जीने के लिये** समाज में सिद्धांतों और नियमों को अलग करना आवश्यक है।
  - बुद्ध और उनके धम्म के बारे में अंबेडकर व्याख्या करते हैं कि कैसे धम्म, जिसमें प्रज्ञा या सोच व समझ, सिला या अच्छे कार्य और अंत में करुणा या दया शामिल है, **एक 'नैतिक रूप से परिवर्तनकारी' अवधारणा के रूप में उभरता है जो प्रतिगामी सामाजिक संबंधों को तोड़ता है।**

लोकतांत्रिक कार्य करने के लिये अंबेडकर द्वारा रखी गई शर्तें:

- **समाज में असमानताओं से निपटना:**
  - समाज में कोई स्पष्ट असमानता और उत्पीड़ित वर्ग नहीं होना चाहिये।
  - कोई एक ऐसा वर्ग नहीं होना चाहिये जिसके पास सभी विशेषाधिकार हों और न ही एक ऐसा वर्ग जिस पर सभी उत्तरदायित्व हों।
- **मज़बूत विपक्ष:**
  - उन्होंने एक **मज़बूत विपक्ष के अस्तित्व पर ज़ोर** दिया।
  - लोकतंत्र का मतलब है वीटो पावर। लोकतंत्र वंशानुगत प्राधिकरण या निरंकुश प्राधिकरण का विरोधाभास है, जहाँ चुनाव एक आवधिक वीटो के रूप में कार्य करते हैं जिसमें लोग एक सरकार के गठन हेतु वोट देते हैं और संसद में विपक्ष एक तत्काल वीटो के रूप में कार्य करता है जो सत्ता में सरकार की निरंकुश प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाता है।
- **स्वतंत्रता:**
  - इसके अतिरिक्त उन्होंने तर्क दिया कि संसदीय लोकतंत्र स्वतंत्रता के लिये एक जुनून पैदा करता है; विचारों और मतों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, सम्मानपूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, जिसका मूल्य हो वह कार्य करने की स्वतंत्रता।
  - लेकिन हम कमज़ोर विपक्ष के साथ मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की समानांतर गिरावट और इसके परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक साख में गिरावट देख सकते हैं।
- **कानून और प्रशासन में समानता:**
  - अंबेडकर ने कानून और प्रशासन में समानता को भी बरकरार रखा।
  - सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिये और वर्ग, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये।
  - उन्होंने संवैधानिक नैतिकता के विचार को आगे बढ़ाया।
    - उनके लिये संविधान केवल कानूनी कंकाल है, लेकिन मांस वह है जिसे वह संवैधानिक नैतिकता कहते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉ. बीआर अंबेडकर ने की थी? (2012)

1. द पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया
2. अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ
3. स्वतंत्र लेबर पार्टी

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: B

- द पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया का गठन वर्ष 1947 में पुणे के केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे और अन्य लोगों द्वारा किया गया था **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना वर्ष 1942 में बीआर अंबेडकर ने की थी और इस पार्टी ने वर्ष 1946 के आम चुनावों में भाग लिया था। **अतः 2 सही है।**
- स्वतंत्र लेबर पार्टी (आईएलपी) का गठन भी वर्ष 1936 में बीआर अंबेडकर द्वारा किया गया था, जिसने बॉम्बे के प्रांतीय चुनावों में भाग लिया था। **अतः 3 सही है।**

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

स्रोत: द हिंदू

सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन

प्रिलिम्स के लिये:

बहु-राज्य सहकारिता, संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011, सहकारी समितियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान।

मेन्स के लिये:

सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विपक्ष की मांगों का जवाब देते हुए **लोकसभा** ने **बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2022** को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है।

- इस विधेयक का उद्देश्य 20 साल पहले लागू किये गए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में आमूल-चूल परिवर्तन करना है।

सहकारी समिति:

- **परिचय:**
  - सहकारी समितियाँ बाज़ार में **सामूहिक सौदेबाज़ी की शक्ति का उपयोग करने के लिये लोगों द्वारा ज़मीनी स्तर पर बनाई गई संस्थाएँ** हैं।
    - इसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएँ हो सकती हैं, जैसे कि एक सामान्य लाभ प्राप्त करने के लिये सामान्य संसाधन या साझा पूंजी का उपयोग करना, जो अन्यथा किसी व्यक्तिगत निर्माता के लिये प्राप्त करना मुश्किल होगा।
  - कृषि में सहकारी डेयरी, चीनी मिलें, कताई मिलें आदि उन किसानों के एकत्रित संसाधनों (Pooled Resources) से बनाई जाती हैं जो अपनी उपज को संसाधित करना चाहते हैं।
    - **अमूल भारत में सबसे प्रसिद्ध सहकारी समिति** है।
- **क्षेत्राधिकार:**
  - सहकारिता, **संविधान के तहत एक राज्य का विषय है** जिसका अर्थ है कि वे राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं लेकिन **कई समितियाँ हैं जिनके सदस्य और संचालन के क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैले हुए** हैं।
    - उदाहरण के लिये **कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा पर स्थित अधिकांश चीनी मिलें दोनों राज्यों से गन्ना** खरीदती हैं।
  - **बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (MSCS) अधिनियम, 2002** के तहत एक से अधिक राज्यों की सहकारी समितियाँ पंजीकृत हैं।
    - इनके निदेशक मंडल में उन सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है जिनमें वे कार्य करते हैं।
    - इन **समितियों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास है** एवं कानून यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी उन पर नियंत्रण नहीं रख सकता है।

संशोधन की आवश्यकता:

- वर्ष 2002 से सहकारिता के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए हैं। उस समय सहकारिता कृषि मंत्रालय के अधीन एक विभाग था। हालाँकि जुलाई 2021 में सरकार ने एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया।

- **भाग IXB** को **97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011** के माध्यम से संविधान में सम्मिलित किया गया था। इसके बाद अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।
    - **97वें संशोधन के तहत:**
        - सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को **स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19 (1)** के रूप में शामिल किया गया।
        - **सहकारी समितियों का प्रचार** राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों **(अनुच्छेद 43-बी)** के रूप में किया गया था।
- इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों के विकास ने भी अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता जताई, ताकि बहु-राज्य सहकारी समितियों में सहकारी आंदोलन को मज़बूत किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन:

- **सहकारी समितियों का विलय:**
    - यह विधेयक **किसी भी सहकारी समिति** के मौजूदा MSCS में विलय के लिये उपस्थित सदस्यों के **बहुमत (कम-से-कम दो-तिहाई)** द्वारा पारित एक प्रस्ताव और ऐसी समिति की आम बैठक में मतदान करने का प्रावधान करता है।
    - **वर्तमान में केवल MSCS ही स्वयं को समामेलित कर सकता है** और एक नया MSCS बना सकता है।
- **सहकारी चुनाव प्राधिकरण:**
    - यह विधेयक **सहकारी क्षेत्र में "चुनावी सुधार"** की दृष्टि से एक **"सहकारी चुनाव प्राधिकरण"** स्थापित करने का प्रावधान करता है।
    - प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और केंद्र द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अधिकतम 3 अन्य सदस्य होंगे।
        - सभी सदस्य **3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक** (जो भी पहले हो) पद पर बने रहेंगे और **पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।**
- **कठोर दंड:**
    - **विधेयक कुछ अपराधों के लिये जुर्माने की राशि को** बढ़ाने का प्रयास करता है।
    - यदि निदेशक मंडल या अधिकारियों को ऐसी सोसायटी से संबंधित मामलों का लेन-देन करते समय कोई गैरकानूनी लाभ प्राप्त होता है, तो वे दंड के पात्र होंगे तथा **उन्हें कम-से-कम एक महीने का कारावास हो सकता है जो एक वर्ष तक या जुर्माने के साथ बढ़ाया जा सकता है।**
- **सहकारी लोकपाल:**
    - सरकार ने सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों की जाँच के लिये क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के साथ **एक या एक से अधिक "सहकारी लोकपाल"** नियुक्त करने का प्रावधान किया है।
    - सम्मन और जाँच-पड़ताल में **सहकारी लोकपाल की शक्तियां दीवानी न्यायालय के समान होंगी।**
- **पुनर्वास और विकास निधि:**
    - यह विधेयक, **सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण तथा विकास कोष की स्थापना तथा MSCS के पुनरुद्धार** का भी प्रावधान करता है।
    - यह विधेयक **"समवर्ती लेखापरीक्षा" से संबंधित एक नई धारा 70A को सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव करता है, इस MSCSs,** का वार्षिक कारोबार या जमा धन राशि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक है।

प्रस्तावित विधेयक की आलोचनाएँ

- लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया है कि बिल **राज्य सरकारों के अधिकारों को छीनने (Take Away) का प्रयास करता है।**
- कुछ आपत्तियाँ इस तथ्य पर आधारित हैं कि सहकारी समितियाँ राज्य का विषय है। **संघ सूची (सातवीं अनुसूची) की प्रविष्टि 43 यह स्पष्ट करती है कि सहकारी समितियाँ केंद्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती हैं।**
    - **प्रविष्टि 43 में** "व्यापारिक निगमों का निगमन, विनियमन और परिसमापन जिसमें बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय निगम शामिल हैं, **लेकिन इसमें सहकारी समितियों को शामिल नहीं किया गया है।**

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न

??????:

प्रश्न: "गाँवों में सहकारी समिति को छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी ढाँचा उपयुक्त नहीं होगा।" - अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण।

प्रश्न: भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्त संस्थाओं को किन बाधाओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुँचने और सेवा के लिये प्रौद्योगिकी का किस प्रकार ईस्तेमाल किया जा सकता है? (2014)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम 2022

प्रिलिम्स के लिये:

जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम 2022

मेन्स के लिये:

जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियमों की विशेषताएँ, जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियमों से संबंधित चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने **"जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम 2022"** को अधिसूचित किया है, जिसने [केंद्रशासित प्रदेश (UT)](#) **में लीज पर संपत्ति रखने के मालिकों के अधिकार को समाप्त कर** दिया है और यह इन संपत्तियों को नए सिरे से **ऑनलाइन आउटसोर्स करने की योजना** है।

जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम 2022 की मुख्य विशेषताएँ:

- नए कानूनों ने **"जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम 1960"** को प्रतिस्थापित किया, जिसमें उदार लीज नीति थी, जैसे कि 99 वर्ष की लीज अवधि और विस्तार योग्य।
    - घाटी में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के अधिकांश होटल और जम्मू एवं श्रीनगर में प्रमुख व्यावसायिक संरचनाएँ लीज की भूमि पर हैं।
- नए कानूनों में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम 1960, अधिसूचित क्षेत्र (पर्यटन क्षेत्र में स्थापित सभी विकास प्राधिकरण) भूमि अनुदान नियम, 2007 और इन नियमों के लागू होने से पहले या इन नियमों के तहत जारी किये गए पट्टे सहित निर्वाह या समाप्त हो चुके आवासीय पट्टों को छोड़कर अन्य कोई पट्टे नवीनीकृत व निर्धारित नहीं किये जाएंगे।
    - **उपराज्यपाल प्रशासन** ने इन लीज संपत्तियों को आउटसोर्स करने के लिये एक नई **ऑनलाइन नीलामी** आयोजित करने की योजना बनाई है।
- सभी जावक पट्टेदार लीज पर ली गई भूमि का कब्ज़ा तत्काल सरकार को सौंप देंगे, ऐसा न करने पर पट्टेदार को बेदखल कर दिया जाएगा।
- **जम्मू-कश्मीर के भूमि कानून प्रतिगामी** थे

नियमों का विरोध:

- कुछ राजनीतिक दलों ने तर्क दिया है कि पेश किये गए नए भूमि **अनुदान नियम-2022 छह से सात लाख लोगों के लिये** [बेरोज़गारी](#) **के दायरे को बढ़ाएगा** और केवल जम्मू-कश्मीर में होटल तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खरीदने हेतु बाहर से आने वाले करोड़पतियों और पूंजीपतियों के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा।
    - नवीन भूमि अनुदान नियमावली-2022 द्वारा वर्तमान भू-स्वामियों का अधिकार समाप्त कर उसे बाज़ार मूल्य पर विक्रय किया जाएगा। देश के बाकी हिस्सों के करोड़पतियों और अरबपतियों की तुलना में स्थानीय व्यावसायियों की क्रय शक्ति निगण्य है।
- इसके कारण बैंक ऋण वाले वर्तमान मालिकों को ऋण चुकाने के लिये अपना घर बेचने हेतु मजबूर होना पड़ेगा।
    - जम्मू-कश्मीर बैंक से लिया गया वर्तमान बैंक उधार 60,000 करोड़ रुपए है, जो 1990 के दशक के बाद से अशांत समय से बचने के लिये स्थानीय लोगों द्वारा लिये गए ऋणों का एक संकेतक है

नियमों से संबंधित प्रशासन के दावे:

- जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने दावा किया है कि **भूमि कानूनों में संशोधन से कोई भी गरीब प्रभावित नहीं होगा।** बाह्य विधि का शासन **यहाँ भी लागू करना** होगा।
- 100 करोड़ रुपए की संपत्तियाँ थीं, जिन्हें भुगतान के रूप में 5 रुपए के लिये पट्टे पर दिया जा रहा था, ऐसे लोग ही संशोधनों से चिंतित हैं। नए नियम जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के लिये हैं।
- लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में भूमि कानून प्रतिगामी थे और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाए गए थे। विभिन्न न्यायालयों में लगभग 40% - 45% मामले केवल भूमि विवाद से संबंधित हैं।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/23-12-2022/print